

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-5/आ02-1030/2018(खंड-II)- 1826

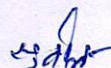
पटना, दिनांक- 22/9/26

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी अन्तर्गत DFID सम्पोषित बकरौर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में अनियमितता बरतने हेतु विभागीय आदेश सं0-795, दिनांक- 18.05.2022 द्वारा श्री राम बहादुर चौधरी, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

02. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पत्रांक-968, दिनांक-08.06.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

03. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-1203, दिनांक-16.06.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री चौधरी से लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री चौधरी के पत्रांक-शून्य, दिनांक-05.08.2026 द्वारा लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया है।

04. विभाग द्वारा श्री चौधरी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान नलकूप की गहराई प्रावधानित गहराई का एक तिहाई ही पाया गया था। स्ट्राटा चार्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं पाया गया था। जलापूर्ति योजना में उच्च प्रवाही नलकूप की केन्द्रीय भूमिका के मद्देनजर प्रावधानित से कम गहराई/बिना सक्षम प्राधिकार/बिना पर्याप्त अन्वेषण के उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कराने एवं समानुपातिक भुगतान माप-पुस्तिका में अंकित करने के निमित्त श्री चौधरी को अनुश्रवण में कमी, वित्तीय हानि पहुँचाने एवं जलापूर्ति योजना के स्थायित्व को कमतर करने हेतु दोषी माना गया है। राईजिंग मेन के भौतिक मापी में 451.30 मी० 150 mm पाईप कम पाये जाने, जल वितरण प्रणाली में 3269.80 मी० 100 mm, 225.50 मी० 150 mm एवं 72.20 मी० 200 mm पाईप कम पाये जाने के फलस्वरूप कुल 79.341 लाख रुपये की क्षति पहुँचाने हेतु श्री चौधरी को दोषी माना गया है। योजना के वितरण प्रणाली में पाईप की गहराई एकरारनामा में प्रावधानित गहराई से कम पाये जाने के कारण कुल 13.604 लाख रुपये की क्षति हेतु भी श्री चौधरी को दोषी माना गया है। इस प्रकार आरोपित कर्मी श्री चौधरी द्वारा सरकार को कुल 92.945 लाख रुपये की क्षति पहुँचाई गयी है। श्री चौधरी से प्राप्त लिखित अभिकथन अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।



अतः वर्णित स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत श्री राम बहादुर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है:-

- पूर्ण उपादान एवं अव्यवहत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की वसूली।
- 25% पेंशन की राशि की कटौती।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-5/आ02-1030/2018(खंड-II)- 1826

पटना, दिनांक- 22/9/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-5/आ02-1030/2018(खंड-II)- 1826

पटना, दिनांक- 22/9/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री राम बहादुर चौधरी, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता पत्राचार पता-पानी टंकी, पोस्ट-जनकपुर, सेड, पुपरी, सीतामढ़ी, पिन-843320, मो0-9304536865 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

21-9-26